

—: निविदा प्रपत्र :-

①

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, केन्द्रीय कार्यशाला, देसुरिया विश्नोइयां, नागौर रोड़, जोधपुर

क्रमांक :-

दिनांक:

मुख्य उत्पादन प्रबंधक,
राजस्थान परिवहन निगम,
केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर।

विषय:—राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर में चैसिस संबंधित कार्य करने बाबत।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर में चैसिस संबंधित कार्य करवाने के संबंध में निम्नानुसार बोली प्रपत्र प्रेषित है। बोली प्रपत्र की फीस राशि 590/- (नॉन रिफण्डेबल) रसीद संख्या दिनांक.....

नोट:—निविदा प्रपत्र दिनांक 20.03.2025 को 13:00 बजे तक इस कार्यालय में प्राप्त किये जायेगे एवं प्राप्त निविदायें उसी दिन 14.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष खोली जावेगी।

सामान्य विवरण

1	फर्म का नाम	
2	फर्म का स्थाई पता	
3	फर्म का दूरभाष न./ मोबाईल न./ ई-मेल	
4	फर्म का पत्र व्यवहार का पता	
5	फर्म का जी.एस.टी. नम्बर	
6	फर्म का पेन कार्ड न. मय फोटो प्रति	
7	फर्म का द्वारा फार्म हेतु निगम कोष में बोली प्रपत्र की फीस (मुख्य उत्पादन प्रबंधक , केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर) में जमा करायी राशि 590/ रुपये की रसीद/डी.डी. नम्बर व दिनांक	
8	डी.डी. नम्बर व दिनांक सुरक्षा राशि 10000/- (मुख्य उत्पादन प्रबंधक , केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर)	

9 कार्य (Scope of Work)

निम्नलिखित सूची व विवरण अनुसार विभिन्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा अनुमानित	निविदा कि अनुमानित लागत (लाख में)
01	वाहन का ईजन चेंज करना (नोट-01 ईजन निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा 02. ईजन बदली सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य जिसमें निम्न कार्य शामिल होगीयर सेटिंग चेंज, रेडियेटर बदली, क्लच व प्रेशर प्लेट सेटिंग व अन्य आवश्यक पार्टिंग व अन्य कार्य जो भी आवश्यक हो)	40 वाहन	5.00
02	40.000 डोकिंग (चारों व्हील मेंटीनेंस, काउन एवं गीयर आईल चेंज)	15 वाहन	
03	कमानी चेंज (प्रति कमानी)	15 वाहन	
04	फ्रंट एक्सल चेंज कार्य	15 वाहन	
05	रियर एक्सल चेंज कार्य	15 वाहन	
06	गीयर बॉक्स चेंज कार्य	15 वाहन	
07	काउन केज चेंज कार्य	15 वाहन	
08	प्रोपेलर शाफ्ट चेंज कार्य	15 वाहन	
09	माईनर असेम्बलीज चैक एवं चेंज कार्य (डी. डी. युनिट ब्रेक वॉल रिलेवॉल डीजल पार्टि ऐंयर प्रेशर पार्टि स्टैरिंग पार्टि, सी.एम.सी. इत्यादि)	40 वाहन	

प्रस्तावित दर विवरण
कार्य

क्रम संख्या	कार्य	प्रस्तावित दर मय जीएसटी शब्दों में
01	वाहन का ईजन चेंज करना (नोट-01 ईजन निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा 02. ईजन बदली सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य जिसमें निम्न कार्य शामिल होंगे गीयर सेटिंग चेंज, रेडियेटर बदली, क्लच व प्रेशर प्लेट सेटिंग व अन्य आवश्यक पार्टिंग व अन्य कार्य जो भी आवश्यक हो)	
02	40.000 डोकिंग (चारों व्हील मेंटीनेंस, काउन एवं गीयर आईल चेंज)	
03	कमानी चेंज (प्रति कमानी)	
04	फ्रंट एक्सल चेंज कार्य	
05	रियर एक्सल चेंज कार्य	
06	गीयर बॉक्स चेंज कार्य	
07	काउन केज चेंज कार्य	
08	प्रोपेलर शाफ्ट चेंज कार्य	
09	माईनर असेम्बलीज चैक एवं चेंज कार्य (डी. डी. युनिट ब्रेक वॉल रिलेवॉल डीजल पार्टि ऐंयर प्रेशर पार्टि स्टैरिंग पार्टि, सी.एम.सी.इत्यादि)	

निविदा के नियम एवं शर्तें

1. ठेकेदारको जॉब बैसिस के सम्पूर्ण कार्य सम्बंधित केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर परिसर में केन्द्रीय कार्यशाला द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की देख रेख में निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सम्पादित करना होगा। आवश्यक होने पर ही सम्बंधित उत्पादन प्रबंधक की स्वीकृति उपरान्त केन्द्रीय कार्यशाला परिसर से बाहर संपादित किये जा सकेंगे।
2. ठेकेदारको निगम द्वारा आवंटित कार्य के निष्पादन हेतु औजार एवं अन्य आवश्यक संसाधन अपने कामगारों को अपने स्तर पर उपलब्ध करवाने होंगे।
3. निविदादाता को चैसिस संबंधी कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ सलग्न करना अनिवार्य है। बिना अनुभव प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. यह है की कार्य में लगने वाले संभावित समय का निर्धारण केन्द्रीय कार्यशाला समिति द्वारा किया जायेगा एवम कार्य निर्धारित समय अवधि में किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा शास्ति राशि की वसूली कार्यवाही की जायेगी।
5. कार्य के दौरान मशीनरी/पार्ट्स को लोड/अनलोड करने का कार्य ठेकेदारको स्वयं के स्तर पर ही करना होगा।
6. ठेकेदारको कार्य समाप्ति पर सभी प्रकार की अनावश्यक स्पेयर, कचरा, उपकरण इत्यादी को हटाकर निर्धारित स्थान पर डालना होगा व कार्यस्थल को सही स्थिती में रखना होगा।
7. कार्य के दौरान हुई किसी भी सामान की टूट-फूट की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं कार्य के दौरान हुई किसी भी दुर्घटना में ठेकेदारके आदमी को हुई हानि/चोट के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। निगम किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
8. ठेकेदार द्वारा यदि कार्य हेतु आवश्यक श्रमिक किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं एवं इससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है तो अनुबंध कर्ता से देरी से होने वाले कार्य हेतु (5 (पाँच) प्रतिशत प्रति 15 दिवस) प्रति दिवस के हिसाब से शास्ति राशि वसूल की जावेगी एवं इस संबंध में किसी भी विवाद को केन्द्रीय कार्यशाला समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। जिसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
9. ठेकेदार एवं कामगारों को कार्यशाला समय में ही कार्य करना होगा एवं कार्यशाला सुरक्षा मापदंडों व नियमों का पालन करते हुए पूर्ण अनुशासन से कार्य करना होगा। ठेकेदार द्वारा निविदा से संबंधित कार्य किसी को सबलेट नहीं किया जा सकेगा। ऐसा पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
10. ठेकेदार द्वारा सम्पादित कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी पाए जाने पर निगम के निर्देशानुसार ठेकेदार को फ्री ऑफ कॉस्ट त्रुटि/कमी को ठीक करना होगा।
11. ठेकेदार के अपने पेन कार्ड, जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन नं., भविष्य निधि व कर्मचारी बीमा रजिस्ट्रेशन एवं श्रम अनुज्ञा पत्र, निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे। यदि कोई प्रपत्र अथवा पंजीयन संबंधित ठेकेदार के दायित्व में नहीं हो तो इसके लिए ठेकेदार एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।
12. ठेकेदार अपने अधीन कार्यरत कामगारों को देय भुगतान में से नियमानुसार भविष्य निधि एवं राज्य कर्मचारी बीमा राशि काट कर सम्बंधित विभाग में जमा करायेंगे एवं इसके जमा कराने का चालान इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यदि ठेकेदार अपने स्तर से जमा कराने की कार्यवाही नहीं करता है तो ठेकेदार अपने कर्मचारियों को देय भुगतान पर नियमानुसार भविष्य निधि एवं राज्य कर्मचारी बीमा की राशि की गणना कर उसकी अनुसूची अपने बिल के साथ प्रस्तुत करेगा। निगम उसकी अनुसूची के अनुरूप भविष्य निधि एवं राज्य कर्मचारी बीमा की राशि ठेकेदार के भुगतान से काट कर सम्बंधित विभाग में जमा करायेगा।
13. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाल तकनीकी कर्मचारी सदस्यवहारी एवं ईमानदार होंगे तथा इनके आचरण एवं कार्य हेतु अनुबंधित फर्म पूर्ण उत्तरदायी रहेगी। यदि फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाल कर्मचारी द्वारा कियी भी प्रकार की अनियमितता की जाती है तो निगम द्वारा इस सम्बंध में नोटिस जारी करने पर फर्म को तुरन्त संबंधित


कर्मों को हटाना होगा तथा अनुबंधित फर्म के कर्मचारी के किसी कार्य से निगम को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है तो उसकी वसूली सम्बंधित फर्म से की जावेगी।

14. उक्त निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त कार्य अस्थाई है एवं आवश्यकतानुसार करवाये जाने है। ठेकेदार कार्य आवंटन की मात्रा के लिए राशि को बाध्य नहीं कर पायेगा, एवं उसके कामगारों को निगम में स्थाई सेवा एवं अन्य किसी भी प्रकार की सुविधा का अधिकार देय नहीं होगा। ठेकेदार को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा एवं निर्धारित आयु 18 से कम आयु का कोई कर्मचारी नहीं रख सकेगा। उक्त नियमों की अवहेलना की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
15. ठेकेदार द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय कार्य में लापरवाही करने पर यथा समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाने, अपेक्षित समय सीमा में कार्य संपादित नहीं करने एवं नोटिस दिये जाने के उपरांत भी आवश्यक कार्यवाही हेतु स्वयं/ अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थिति नहीं दिये जाने की दशा में निगम द्वारा ठेकेदार को 15 दिवस की अवधि के भीतर अधिकतम दो नोटिस उचित माध्यम से प्रेषित किये जावेंगे। तत्पश्चात भी कार्य हेतु उपस्थित नहीं होने की दशा में निविदा अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही करते हुए सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।
16. ठेकेदार को देय भुगतान में से नियमानुसार समस्त करों की कटौती की जायेगी।
17. ठेकेदार को नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। जिसे गारन्टी अवधि समाप्ति के 60 कार्य दिवस के उपरान्त लौटा दी जावेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
18. उक्त अनुबंध एक वर्ष के लिये मान्य होगा परन्तु ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अनुबंध तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
19. बिना किसी कारण बताए अनुबंध निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार निगम का होगा।
20. भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत करने होंगे। जिनके प्रमाणीकरण उपरान्त ही राशि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
21. किसी विशेष परिस्थिति के कारण कार्य निलंबित रहने के कारण अनुबंधकर्ता को यदि अतिरिक्त व्यय होता है तो उसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
22. आवश्यक होने पर कार्य की मात्रा को आर.टी.पी.पी. एक्ट के प्रावधानानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
23. टेंडर के सम्बंध में किसी भी प्रकार का विवाद हाने पर निम्न प्रावधान लागू होगा।

(i) Dispute Resolution: Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to, the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the standing committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office Order No. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.

(ii) Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the tenders/contract/agreements issued by the corporation shall be filed in the competent court located in Jaipur.

ठेकेदार के हस्ताक्षर मय मोहर


मुख्य उत्पादन प्रबंधक